न्यायालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।

निगरानी संख्या– 117 वर्ष 2010–11 अन्तर्गत धारा–333 जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

श्री रमेश चन्द्र पुत्र सोमेश्वरा नन्द, निवासी ग्राम नौगांव, परगना पछवादून तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

–निगरानीकर्ता।

बनाम

ग्राम सभा नौगांव व
उत्तराखण्ड सरकार ज़रिए कलेक्टर, देहरादून।

–विपक्षीगण।

बावत

भूमि स्थित ग्राम–नौगांव, परगना पछवादून,
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून द्वारा वाद संख्या–विविध–2/2009 अन्तर्गत धारा–198(4) जमीनदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2010 के विरूद्व दायर की गई है जिस द्वारा निगरानीकर्ता ने ग्राम नौगांव में स्थित खसरा संख्या–70 (नया नम्बर 401) रक्वा 0.0280 है0 एवं खसरा संख्या–598 (नया नम्बर 902घ) रक्वा 0.4170 है0 पर स्वंय को बतौर भूमिधर अंकित करने की प्रार्थना की थी। इसके साथ–साथ निगरानीकर्ता ने खतौनी फसली वर्ष 1399–1404 व खतौनी फसली वर्ष 1416–1421 में कतिपय संशोधन करने की प्रार्थना की थी।

धारा–198 (4) जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कलेक्टर स्वंय अथवा किसी प्रभावित व्यक्ति के आवेदन पर भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किसी भू–खण्ड के आवंटन के सम्बन्ध निर्धारित तरीके से जाँच कर सकता है और यदि वे सन्तुष्ट हों तो भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किए गए आवंटन को निरस्त कर सकता है।

विद्वान अपर कलेक्टर, देहरादून के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा किए गए प्रार्थना पत्र से विदित होता है कि धारा 198 (4) जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में ~~कतिपय~~ कल्पित अनुतोष अर्थात भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किसी भू–खण्ड के आवंटन को निरस्त किये जाने का अनुतोष निगरानीकर्ता ने नहीं मांगा है। अतः अपर कलेक्टर, देहरादून ने निगरानीकर्ता का उनके समक्ष किया गया आवेदन, चारि बलहीन पाया है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मामले में निहित तथ्यों पर टिप्पणी इस कारण

करने की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा कागजात माल में जो त्रुटियाँ बताई हैं उनका समाधान वे विधि सम्मत रूप से कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

निगरानी अस्वीकार की जाती है।

देहरादून,

25 सितम्बर, 2013

(सुनील कुमार मुदगल)
अध्यक्ष।